संख्या - 2679/चौवालिस - 1/1984

प्रेषक,

श्री आर0 के0 सिंह,
विशेष सचिव ।
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों
के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशकगण ।

लखनऊ : दिनांक 5 दिसम्बर, 1984

विषय :- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों द्वारा सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन), नियम 1959 तथा सम्बन्धित नियमावली, 1960 में निहित प्राविधानों का अनुपालन किया जाना ।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-675/चौवालिस-1/1984, दिनांक 22 मार्च, 1984 के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर आने वाली अधीनस्थ, मिनिस्टीरियल तथा निम्नवर्गीय सेवाओं एवं पदों पर रिक्तियों की अधिसूचना अनिवार्य रूप से रोवायोजन कार्यालय को भेजी जाया करे, किन्तु सीधे प्राप्त आवेदन पत्रों पर भी इस शर्त के साथ विचार किया जा सकता है कि ऐसे अभ्यर्थी सेवायोजन कार्यालय में पूर्व से पंजीकृत हों, यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाती है तो किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत ही नहीं है तो यह एक अनियमितता होगी और इसकी अनुमति तभी प्रदान की जा सकती है जबकि सेवायोजन कार्यालय से "नान एवेलेबिलिटी" प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाय । अतः शासनादेश सं0-675/चौवालिस-1/84, दिनांक 22 मार्च, 1984 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

2- कृपया इस पत्र की प्राप्ति तत्काल स्वीकार की जाय ।

भवदीय,
आर0 के0 सिंह,
विशेष सचिव।

संख्या - 2679(1)/चौवालिस - 1/84, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निदेशक, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ ।
(2) श्रम अनुभाग-6 ।
(3) कार्मिक अनुभाग-2 ।
(4) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ ।

आज्ञा से,
आर0 के0 सिंह,
विशेष सचिव।